



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127648

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 19376/2026

आकाश बाथम

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : हकीम सिंह, विनोद कुमार यादव

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
2. यह जमानत आवेदन आवेदक को मामला अपराध संख्या 144/2026, बीएनएस की धारा 303(2), 317(2) और भारतीय वन अधिनियम की धारा 26, 33, 41, 42, 52, 69 तथा वन संरक्षण अधिनियम की धारा 3/28 के तहत, थाना- थथिया, जिला- कन्नौज में जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। चंदन सह-आरोपी राजीव तिवारी के कब्जे से बरामद किया गया था। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि आवेदक के पास से एक मोबाइल फोन और 290 रुपये बरामद किए गए थे और वह सह-आरोपी राजीव तिवारी द्वारा चलाई जा रही गाड़ी में बैठा था। वास्तव में, आवेदक का इस अपराध से कोई संबंध नहीं है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। इस मामले

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की सुनवाई केवल मजिस्ट्रेट की अदालत में ही हो सकती है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इस मामले में आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि आवेदक 2 मई 2026 से जेल में बंद है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि आवेदक के अपराध में संलिप्त होने के संबंध में पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

5. मैंने दोनों पक्षों के परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है और रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

6. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों, आरोपों की प्रकृति, रिकॉर्ड पर प्रस्तुत साक्ष्य, आवेदक द्वारा भुगती गई कारावास की अवधि, किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि के अभाव और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक ने जमानत दिए जाने के लिए मामला सिद्ध किया है।

7. तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

9. उपर्युक्त मामले में अपराध के आरोपी आवेदक आकाश बाथम को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतियों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक यह वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, निचली अदालत इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर निचली अदालत के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। यदि आवेदक बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहता है, तो निचली अदालत उसके विरुद्ध धारा 229-ए आईपीसी/ 269 बीएनएस के तहत कार्यवाही कर सकती है।

(iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 द.प्र.सं./ 84 बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो निचली अदालत उसके विरुद्ध कानून के अनुसार धारा 174-ए आईपीसी/ 209 बीएनएस के तहत कार्यवाही शुरू करेगी।

(iv) आवेदक को निचली अदालत के समक्ष (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप तय करने और (3) धारा 313 द.प्र.सं./ 351 बीएनएसएस के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहना होगा। यदि निचली अदालत की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो निचली अदालत ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकती है।

8. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द की जा सकती है।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से माननीय विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने से प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

17 जून, 2026

एपी पांडे